न्यास विधान (ट्रस्ट डीड)

यह न्यास लेख पत्र(ट्रस्ट डीड) आज दिनांक ..... को लिखा कर वैध एवम विश्वसनियता के साथ मैं ..... निवासी .... राजस्थान का हूँ जो कि इस ट्रस्ट डीड को निष्पादन किया जाकर इसे जनहितार्थ निष्पादित कर रहा हूँ –

मैनें अपने स्वयं के परिश्रम व कारोबार करके धनोपार्जन किया हैं । अब मैं अपनी अर्जित धन राशि का अपने पूर्वजो के निमित सामाजिक, धार्मिक कार्य करने के उदेश्यों से उनके नाम से एक ट्रस्ट का गठन कर रहे है।

1. <u>ट्रस्ट का नाम –</u> .....
.....

2. <u>ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय–</u> .....
.....

3. <u>ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र–</u> समस्त भारत वर्ष में होगा ।

4. <u>इस प्रन्यास के वर्तमान में निम्न न्यासी हैं–</u>

1. ..... – अध्यक्ष
.....

2 ..... – कोषाध्यक्ष
.....

3 ..... – सचिव
.....

4 ..... – न्यासी
.....

5 ..... – न्यायी
.....

न्यास में ट्रस्टियों की अधिकतम संख्या .....एवं कम से कम .....होगी ।

6 किसी भी ट्रस्टी की कमी होने या स्वेच्छा से त्याग पत्र देने अथवा अपरिहार्य कारणों यथा– न्यासी दिवालिया होने , मानसिक रूप से पागल होने पर , न्यायालय द्वारा अवैध घोषित करने पर से सदस्य नही रहने पर नये न्यासीयों की नियुक्ति की जावेगी। वर्तमान में जो न्यासी बनाये गये है उनका कार्यकार छः वर्ष का रहेगा।

7 न्यास से जुड़े विवाद या अन्य कानूनी कार्यवाही में दावा या विवाद ट्रस्ट के नाम से होगा । जवाबदेही, समझौता एवं विधिक स्थिति में न्याय क्षेत्र ..... ही होगा ।

8 <u>प्रन्यास के उद्देश्य :–</u>

1. शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना।
2. आवारा पशुओं के लिए आवास व चारे की व्यवस्था ।
3. अल्प वर्षा के दौरान गायों की चारे की व्यवस्था ।
4. लावारिस –बीमार गायों का देखभाल– उपचार करना ।
5. गायो के गौशाला बनाकर अधिक से अधिक उत्तम नस्ल की गायों का संबर्धन करना जिससे कि अधिक दुध व दूध की पोष्टिकता को बढाया जावें ।

6. आवश्यकता पडने पर गायों के लिए गोचर भूमि ट्रस्ट द्वारा क्रय की जावेगी ।
7. गायों के लिए आर्थिक सहायता हेतु सार्वजनिक संस्थाओं से सहायता प्राप्त करना।
8. धर्मशालों का निर्माण करना।
9. राज्य सरकार की योजना के अन्तर्गत जमीन आवंटन हेतु कार्य करना।
10. मेडीकल कॉलेज का निर्माण करना, कैम्पो का आयोजन करना।

9. ट्रस्ट की आय के स्त्रोत :–

इस ट्रस्ट की प्रारम्भिक कोष राशि 51,000/– न्यास कार्यालय में नगद जमा है । इसके अतिरिक्त दान, चन्दा एवं वर्णित उद्धेश्यों से प्राप्त धन राशि प्रन्यास की आय मान्य होगी ।

10. ट्रस्ट मीटिग :–

ट्रस्ट की मीटिंग वर्ष में एक बार अवश्य की जायेगी । मीटिंग की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जावेगी । मिटिंग लिया गया निर्णय सभी सदस्यों को मान्य होगा। आवश्यकता होने पर मीटिंग कभी भी बुलाई जा सकेगी ।

11. स्थायी :–

उपर्युक्त ट्रस्ट स्थायी होगा । इसका विघटन नहीं किया जावेगा ।

12. ट्रस्ट की सुचारू व्यवस्था :–

ट्रस्ट की सुचारू संचालन हेतु वैतनिक कर्मी रखे जा सकेगें जिसका वेतन भुगतान ट्रस्ट से होगा ।

13. नियम/उपनियम :–

ट्रस्ट के बेहतर संचालन हेतु कोई भी नियम या उपनियम बनाये जावेगा । जिसमें सभी की स्वीकृति आवश्यक होगी ।

14. ट्रस्ट मण्डल में अधिकार होगा कि ट्रस्ट में आय की वृद्धि हेतु अनुदान,धन,वस्तु के रूप में दान,राजकीय अनुदान अन्य एजेन्सिया भारत सरकार आदि से दान प्राप्त किया जा सकता हैं । न्यास द्वारा आय – व्यय का लेखा जोखा अंकेक्षण करा प्रति वर्ष संबंधित विभागों में भेजना होगा । ट्रस्ट का खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जा सकेगा और खाते के लेनेदेन के कार्य अध्यक्ष के हस्ताक्षर से संचालित किया जा सकता हैं ।

15. ट्रस्टीज में रिक्त पदो बाबत :–

ट्रस्ट में किसी भी ट्रस्टी के निम्न कारणों से ट्रस्टी पद से निष्कासित किया जा सकता हैं –

1. किसी न्यासी की मृत्यु होने पर ।
2. किसी न्यासी के पागल होने पर ।
3. दिवालिया घोषित किये जाने पर ।
4. अपराधिक मामलों में लिप्त पाये जाने पर ।
5. न्यास के विरूद्ध कार्य करने पर

ट्रस्ट में रिक्त हुए पदों की पूर्ति सर्वसम्मति/चुनाव के द्वारा नये न्यासियों की नियुक्ति की जावेगी । वर्तमान न्यासीयों का कार्याकाल छः वर्ष का रहेगे ।

यह प्रन्यास विलेख 500/– रूपयें के स्टाम्प पर निष्पादित कर दिया हैं । मैनें अपने स्वस्थ मन व बुद्धि से स्वेच्छापूर्वक निष्पादित की हैं । ईश्वर मेरी मदद करें

दिनांक–

हस्ताक्षर निष्पादनकर्ता